रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122024-259281
CG-DL-E-09122024-259281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4897] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2024/ अग्रहायण 18, 1946
No. 4897] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2024/ AGRAHAYANA 18, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5292(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.का. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 3 के उप-पैरा (6) के परंतुक और पैरा 5 के उप-पैरा (ग) के अनुसरण में, यह आवश्यक और समीचीन समझते हुए, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि को 9 मार्च, 2025 तक या यथास्थिति, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन किए जाने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, विस्तार किया जाता है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2276(अ), तारीख 11 जून, 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(क) पैरा 2 में, "तीन वर्ष और छह मास" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और नौ मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, "तीन वर्ष और छह मास" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष और नौ मास" शब्द रखे जाएंगे;

[फा. सं. जे-11013/43/07-आईए.II(I)(भाग)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 2276(अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सं. का.आ. 754(अ), तारीख 16 फरवरी, 2022, का.आ. 3450(अ), तारीख 1 अगस्त, 2023, का.आ. 2210 (अ), तारीख 6 जून, 2024 द्वारा संशोधित की गई और अंतिम बार का.आ. 4218(अ), तारीख 25 सितंबर, 2024 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2024

S.O. 5292(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the proviso to sub-paragraph (6) of paragraph 3 and clause (c) of paragraph 5 of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government considering necessary and expedient, hereby extends the term of the Chairman and Members of the State Level Environmental Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh and the term of the Chairman and Members of State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh for a period up to 9th March, 2025 or till the re- constitution of the State Level Environment Impact Assessment Authority and the State Level Expert Appraisal Committees, as the case may be, whichever is earlier, and for that purpose makes further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment Forest and Climate Change number S.O. 2276 (E), dated the 11th June, 2021, namely:—

"(a) in paragraph 2, for the words "three years and six months", the words "three years and nine months" shall be substituted;

(b) in paragraph 6, for the words "three years and six months", the words "three years and nine months" shall be substituted."

[F. No. J-11013/43/07-IA.II(I)(Pt.)]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

NOTE.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2276 (E), dated 11th June, 2021; subsequently amended vide, number S.O 754(E), dated 16th February, 2022; S.O. 3450(E), dated the 1st August, 2023; S.O. 2210(E) dated 6th June, 2024; and last amended vide S.O. 4218(E) dated 25th September, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.09 21:29:46 +05'30'